न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी – महेन्द्र सिंह रतनू

प्रकरण संख्याः– 2023/3

राज. सरकार

बनाम

1. दलीप पुत्र श्री मोटाराम जाति जाट साकिन दुर्जाना।
2. रूलीचन्द पुत्र श्री भादरराम जाति जाट साकिन दुर्जाना।

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांकः–12.09.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मेघाना ने एक रिर्पोट पी–14 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 01 दलीप पुत्र श्री मोटाराम जाति जाट साकिन दुर्जाना द्वारा खसरा नं. 160 रक्बा 7.284 हैक्टेयर खातेदार अकृषि योग्य भूमि गोचर आगोर संस्था में से 0.190 है0 भूमि पर ग्वार एवं 2 रूलीचन्द पुत्र भादरराम जाति जाट साकिन दुर्जाना द्वारा 0.253 है0 रक्बे पर ग्वार काश्त कर अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत हेतुक दर्शित के लिये सूचना संख्यांक–4 नोटिस दिया गया जो अप्रार्थीगण संख्या 02 रूलीचंद से तामिल होकर प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नही किया अतः अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किया जाकर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा अकृषि योग्य भूमि गोचर आगोर संस्था की भूमि पर नाजायज रूप से फसल काश्त की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अप्रार्थीगण दलील एवं रूलीचंद द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू–राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि रू. 55/– से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक मेघाना को आदेश जारी हो कि उक्त भूमि पर बहक सरकार कुर्क शुद्वा फसल की निलामी करवाई जाकर बाद अनुमोदन खजानाराज जमा करावे एवं अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर अलग से बेदखली रिर्पोट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का मेघाना को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह रतनू R.T.S.)
तहसीलदार (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ